सं०सं०–म०नि०–II–उ० यो०–86/2021–22/ 34 रा० (वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 16-01-2024

विषय– केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा तृतीय चरण में मात्र अनुसूचित जाति कोटि के लिए केन्द्रांश/राज्यांश एवं लाभुकांश सहित कुल मो0 23.34 करोड़ (तेईस करोड़ चौंतीस लाख) रू0 मात्र की अनुमोदित परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन भारत सरकार द्वारा उक्त कोटि में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश के आलोक में कुल मो० 8.988 करोड़ (आठ करोड़ अठानबे लाख आठ हजार रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार से तृतीय चरण में मात्र अनुसूचित जाति कोटि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत है। अनुमोदित परियोजना की कुल लागत मो0 23.34 करोड़ (तेईस करोड़ चौंतीस लाख) रू0 मात्र है जिसमें केन्द्रांश/राज्यांश एवं लाभुकांश निहित हैं, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए "राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC)" के अनुमोदन उपरांत पत्रांक–981 दिनांक–01.06.2023 द्वारा भारत सरकार को योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गए।

(ख) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में तृतीय चरण में Beneficiary Oriented Schemes के लिए मात्र अनुसूचित जाति कोटि में निम्न प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं–

(राशि करोड़ रु0 में)

कम	प्रशासनिक अनुमोदन संख्या एवं तिथि	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुकांश
Beneficiary Oriented Schemes					
1	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 26-12-2023	23.34	8.4024	5.6016	9.336
	कुल	**23.34**	**8.4024**	**5.6016**	**9.336**

3. उपर्युक्त पशासनिक अनुमोदन के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये भारत सरकार के द्वारा पूर्व में दो चरणों में प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदनों के क्रम में अनुसूचित जाति कोटि के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 29 रा0 (वि0) दिनांक 01.12.2023 द्वारा भी परियोजनाएँ स्वीकृत हैं।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपर्युक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्रांक F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 29.09.2023 द्वारा Beneficiary Oriented Schemes में **अनुसूचित जाति कोटि** के लिए विमुक्त केन्द्रांश की राशि निम्न है –

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project (SC Category)	Admn. Approval	Earlier Release by GoI	Current Release by GoI	Central share yet to be released by GoI
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of goJ approved vide order of even no. dated 26th July, 2023 and 20th September, 2023	464.17	0.00	539.28	765.13
2		Fisheries Developmental proposal of goJ approved vide order of even no. dated 26th December, 2023	840.24	0.00		
		Total	**1304.41**	**0.00**	**539.28**	**765.13**

5. भारत सरकार से अनुसूचित जाति कोटि के लिए यथा उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश मो० 5.3928 करोड़ (पाँच करोड़ उनचालीस लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मो० 3.5952 करोड़ (तीन करोड़ उनसठ लाख बावन हजार रुपये) मात्र हेतु द्वितीय अनुपूरक आगणक से समुचित बजट उपबंध प्राप्त है। जिसके अन्तर्गत उक्त कोटि में कुल मो0 **8.988 करोड़ (आठ करोड़ अन्ठानवे लाख अस्सी हजार) रुपये** मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से प्रदान की जाती है।

माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(लाख रू0 में)

क0	विस्तृत शीर्ष	पुनर्विनियोग द्वारा संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 17 रा0 (वि0) दिनांक 25.07.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं0 30 रा0 (वि0) दिनांक 01.12.2023 द्वारा स्वीकृत राशि	द्वितीय अनुपूरक आगणक से प्राप्त बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक पश्चात् वर्तमान में उपलब्ध बजट उपबंध	वर्तमान में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	450.00	390.19	479.47	539.28	539.28	0.00
	कुल केन्द्रांश	**450.00**	**390.19**	**479.47**	**539.28**	**539.28**	**0.00**
2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	299.6337	259.46	320.02	360.1937	359.52	0.6737
3	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	7.3663	7.3663	0.0000	0.00	0.0000	0.00
	कुल राज्यांश	**307.00**	**266.8263**	**320.02**	**360.1937**	**359.52**	**0.6737**
	कुल योग (2405) :	**757.00**	**657.0163**	**799.49**	**899.4737**	**898.80**	**0.6737**

मो0 8.988 करोड़ (आठ करोड़ अन्ठानवे लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र।

6. इस स्वीकृत्यादेश में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि विमुक्त होने के उपरांत केन्द्रांश मद में बजट तथा समानुपातिक राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त प्राप्त कर राशि व्यय की स्वीकृति हेतु अगल से स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। आवंटनादेश में भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति संबंधी पत्र का उल्लेख किया जायेगा।

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।

8. इस योजना के तहत् स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. प्रासंगिक योजना के तहत् भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

10. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा तृतीय चरण में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति की कंडिका 2 (d) एवं 2 (e) के अनुसार –

(1) भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश की राशि चार बराबर किस्तों में विमुक्त की जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित इस परियोजना के विरुद्ध आवश्यक राशि का व्यय अबतक इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) से किया जा सकेगा।

11. इस केन्द्र प्रायोजित योजना में निजी क्षेत्र के अनुसूचित जाति लाभुकों की योजनाओं में लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है-

लाभुकों की कोटि	लाभुक का अंशदान	लाभुकों के अंशदान के उपरांत अनुदान की राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात	
		केन्द्रांश	राज्यांश
अनुसूचित जाति	40 %	60 %	40%

12. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत इस योजना की मार्गदर्शिका, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु तीन चरणों में निर्गत प्रशासनिक अनुमोदनों तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत राज्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 की कंडिका-10.1 से 10.3, 10.5 एवं 10.6 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत राज्यादेश सं0-29 रा0 (वि0) दिनांक 01.12.2023 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जाएगा।

13. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

14. केज अधिष्ठापन एवं अनुदान की राशि का व्यय भारत सरकार के पत्रांक 117012-3/2020-Fy दिनांक 12.12.2022 द्वारा निर्गत Revised Operational Guidelines में निरुपित प्रावधान जो मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2075 दिनांक 30.12.2022 एवं पत्रांक 924 दिनांक 24.05.2023 द्वारा संसूचित हैं, के अनुरुप किया जाएगा।

15. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं0, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।

16. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति एवं स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।

17. जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट-1** के रूप में संलग्न है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। इसे भारत सरकार को नियमित भेजा जायेगा।

18. इस प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति होने के उपरांत, केन्द्रांश तथा समानुपातिक राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त कर राशि व्यय की स्वीकृति हेतु स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। आवंटनादेश में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति संबंधी पत्र का उल्लेख किया जायेगा।

19. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 34 रा0/(वि0)/रॉंची, दिनांक 16.01.2024

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 34 रा0/(वि0)/रॉंची, दिनांक 16.01.2024

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉंची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉंची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 34 रा0/(वि0)/रॉंची, दिनांक 16.01.2024

प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, रॉंची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

34 रा0 (वि0)
16.01.2024

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत तृतीय चरण में लाभुकजनित योजनाओं में मात्र अनुसूचित जाति कोटि के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु0 में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)		Amount Sanctioned			
					SC	Total	SC		Total	
							Central	State	Central	State
1	2	3	4	5	6	7				
5	Technology Infusion and Adaptation									
5.5	Installation of cages in Reservoir	3.00	Nos.	Saraikela	152	152	164.16	109.44	164.16	109.44
				Ranchi	200	200	216.00	144.00	216.00	144.00
				Hazaribagh	204	204	220.32	146.88	220.32	146.88
				Ramgarh	24	24	25.92	17.28	25.92	17.28
				Godda	8	8	8.64	5.76	8.64	5.76
				Koderma	174	174	187.92	125.28	187.92	125.28
				Bokaro	16	16	17.28	11.52	17.28	11.52
				Total	**778**	**778**	**840.24**	**560.16**	**840.24**	**560.16**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

उपा सचिव